

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.12(11)नविवि/1/2013

दिनांक: 02-11-2016


परिपत्र

नगर सुधार न्यासों द्वारा विभिन्न सम्पत्तियों का विक्रय करने पर लीज धारकों से वार्षिक आधार पर लीज मनी राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 7 के अन्तर्गत ली जाती है तथा नियम 7(4) के अनुसार 40 प्रतिशत राशि न्यास कोष में तथा शेष 60 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा करानी होती है। प्रायः यह देखने में आया है कि न्यासों द्वारा प्राप्त लीज राशि में से जो राशि राजकीय अंश के रूप में जमा करानी होती है वह निर्धारित समय पर राजकोष में जमा नहीं कराई जाती है। इसकी वजह से महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के जांच दलों द्वारा आक्षेप गठित किये जा रहे हैं।

अतः राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 31 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित किया जाता है कि न्यास कार्यालय में लीज मनी की प्राप्ति दिनांक से राज्यांश राशि 30 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से राजकोष में जमा कराई जावे अन्यथा 30 दिवस पश्चात् विलम्ब अवधि (राज्यांश जमा कराने की तिथि तक) के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी राजकोष में जमा कराया जावे। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये जाते हैं।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय